सं. 7/7/08-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

* * *

लोकनायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.

दिनांक : 13 फरवरी, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन – उपदान को विनियमित करने वाले प्रावधानों में संशोधन के संबंध में –

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में जारी इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ए) दिनांक 2.9.2008 के पैरा सं. 7.1 की शर्तों के अनुसार पेंशन की परिकलन के उद्देश्यार्थ अर्हक सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से वापस हो जाएगा ।

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.33 में निम्नलिखित सिफारिश की :

> "पूर्ण पेंशन की अर्हक सेवा के 33 वर्ष के साथ लिंकेज को बंद कर देना चाहिए । जैसे ही कोई कर्मचारी 20 वर्ष की न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा दे चुका होता है, तो पिछले 10 महीने में प्राप्त वेतन के औसत अथवा आहरित विगत वेतन, इनमें से जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के लिए लाभप्रद हो, के 50 प्रतिशत पर पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए । इसके साथ-साथ, पेंशन/संबंधित लाभ की गणना हेतु अर्हक सेवा के जोड़े गए वर्षों का वर्तमान लाभ वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह अब सुसंगत नहीं होगा ।"

यह सिफारिश संकल्प सं. 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ए) दिनांक 29 अगस्त, 2008 द्वारा सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई ।

3. उपयुक्त सिफारिशों/निर्णयों से स्पष्ट है कि पेंशन और अन्य संबंधित लाभ जैसे उपदान के परिकलन के उद्देश्यार्थ अर्हक सेवा को जोड़े गए वर्षों का लाभ वापस लिया जाता है |

4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के यू0 ओ0 सं0 4.2/40/2009-आई-सी. दिनांक 12 फरवरी, 2009 द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है |

5. कृषि मंत्रालय इत्यादि से अनुरोध है कि जो सरकारी कर्मचारी 2.9 2008 से सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी पेंशन और उपदान का परिकलन करते समय उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखें |

(एम0 पी0 सिंह)
निदेशक (पी0 पी0)
दूरभाष: 24624802

सेवा में,

मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग |

प्रति:-

मानक सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, उच्चतम न्यायालय, सी. एण्ड ए. जी., संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि |